



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत अर्ज़ी संख्या - 1986, वर्ष 2026

श्रीमती अनीता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

:

राधिका वर्मा

विरोधी पक्षकार (रों) के अधिवक्ता

:

शासकीय

अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक लगभग 40 वर्ष की एक अनपढ़ महिला है। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। जाँच के समय सह-आरोपियों के बयानों के आधार पर उसका नाम सामने आया है। आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आरोप पत्र दाखिल करते समय आवेदक की कोई भूमिका नहीं बताई गई है। आवेदक न तो विक्रय-पत्र को निष्पादित करने वाला है और न ही उसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। आवेदक दिल्ली में एक श्रमिक के रूप में काम करती है।

सह-आरोपी राकेश कुमार और अजीत सिंह को, जमानत संख्या 14406 वर्ष 2022 और 1319 वर्ष 2023 में पारित आदेशों के अनुसार, पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है। आवेदक समानता का दावा करता है। आवेदक 1.5.2024 से जेल में है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि ज़मानत पर मुक्त होने के बाद आवेदक के भाग जाने या साक्षी के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह ज़मानत की इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।

4. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, ऊपर नामजद सह-आरोपियों के ज़मानत आदेशों को ध्यान में रखते हुए—कि आवेदक एक अनपढ़ महिला है, वह न तो क्रेता है और न ही विक्रय-पत्र में साक्षी है, और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ हो—तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए—कि आवेदक 1.5.2024 से जेल में है—और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हूँ कि यह आवेदक को ज़मानत पर मुक्त करने के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है। तदनुसार, ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक श्रीमती अनीता, जो मुकदमा अपराध संख्या 285 वर्ष 2022 (धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बिसवां, जिला सीतापुर) में अभियुक्त हैं, को इस शर्त पर ज़मानत पर मुक्त किया जाए कि वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक निजी अनुबंध और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करें; ये शर्तें न्याय के हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) आवेदक विचारण के समय अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक एक लिखित वचन देगा कि वह साक्ष्यों के लिए तय तारीख पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई टालने की कोई विनती नहीं करेगा और वह विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

प्रकरण की स्थिति को देखते हुए, विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय कोई अन्य शर्त(शर्तें) भी लगा सकता है, जिसे वह उचित और सही समझे।

7. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ मात्र वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

25 मार्च, 2026

केकेबी/

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।